this Authority as on 31.12.98. The National Environment Tribunal under the National Environment Tribunal Act, 1995 is yet to be constituted. The state-wise status of pending court cases as on 31.12.98 pertaining to the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, according to information available with the Central Pollution Control Board, is given in the enclosed statement below. The legal capacity of the State Pollution Control Boards is being strengthened which will enable speedy disposal of cases.

Statement

Sl. No.	Name of the State	Total No. of cases pending
1.	Assam	*
2.	Arunachal Pradesh	*
3.	Andhra Pradesh	2
4.	Bihar	212
5.	Goa	*
6.	Gujarat	1747
7.	Haryana	460
8.	Himachal Pradesh	35
9.	Jammu & Kashmir	39
10.	Kerala	4
11.	Karnataka	85
12.	Maharashtra	120
13.	Madhya Pradesh	137
14.	Meghalaya	*
15.	Manipur	*
16.	Mizoram	*
17.	Nagaland	*
18.	Orissa	75
19.	Punjab	296
20.	Rajasthan	239
21.	Sikkim	*
22.	Tamil Nadu	140
23.	Tripura	*
24.	Uttar Pradesh	57
25.	West Bengal	2
26.	Chandigarh	*
27.	Delhi	1
28.	Andaman & Nicobar	*
29.	Daman, Diu & DNH	*
30.	Lakshadeep	*
31.	Pondichery	*
	Total Pending Cases	3651

*Information not available.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

देश में उर्वरक का उत्पादन

1861. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक उत्पादन का वर्तमान स्तर अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन स्तर की तुलना में क्या है तथा उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में होने वाले उत्पादन दर के प्रतिशत का आंकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन के वर्तमान स्तर में वृद्धि करने के लिए व्यापक पैमाने पर कोई दीर्घवधि योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) भारत नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और नाइट्रोजन तथा फास्फेट के विश्व उत्पादन में इसका हिस्सा क्रमशः 9.4% और 7.6% है। देश में पोटाशिक उर्वरकों के कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और पोटासिक उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता का आयात किया जाता है।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान भारत की तुलना में विश्व में उर्वरक पोषकों का आयात और भारत

4—295 GIPMR/99

में उर्वरक शेयर की क्षेत्रवार प्रतिशतता नीचे दी गई है:—

उर्वरक पोषकों का उत्पादन

(लाख टनों में)

वर्ष	विश्व	भारत	भारत में क्षेत्र-वार प्रतिशत शेयर		
			सार्वजनिक	सहकारी	निजी
1996-97	1481.74	111.55	30.09	18.63	51.28
1997-98	उपलब्ध नहीं है	130.61	31.15	21.35	47.50

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001 से 2002) के लिये उर्वरक संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि नौवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान 140.27 लाख टन नाइट्रोजन तथा 33.33 लाख टन फास्फेट का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) और (घ) उर्वरक उपयोग ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनाई है:

(i) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग पुनरुद्धार।

(ii) नेफथा पर आधारित विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करके तथा मौजूदा संयंत्रों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाओं की स्थापना करके प्राकतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाईयों पर काबू पाना, तथा

(iii) प्रचुर तथा सस्ते कच्चे माल के स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।

देश में यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:—

(i) सामान्यतः उर्वरक उद्योग की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर नाममात्र का मौलिक सीमा शुल्क।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत की जाएं।

(iv) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्त्तियों के आयात पर नाममात्र का शुल्क।

(v) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य सह सब्सिडी स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

Re-orientation of Pharmaceutical Research Development

1862. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to take steps to reorient pharmaceutical research and development; and

(b) if so, what are the details of steps to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) As announced by the Union Finance Minister in his Budget speech of 27th February, 1999, a high level Committee is being set up in this Department to look into the pharmaceutical industry related R and D issues.